न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 45/2015

प्रार्थी :– सुखाराम पुत्र श्री तेजाराम, जाति नायक, निवासी बीटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, मेड़ता।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी महेन्द्र चौधरी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1619/7 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा की जमीन श्रवणराम पुत्र श्री भंवरलाल कौम हरिजन, निवासी मेड़ता की खातेदारी की थी। श्रवणराम ने उक्त खसरा की पूरी जमीन प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के हस्तान्तरण की थी। प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण 6317 स्वीकृत होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी का अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी ने उक्त खसरा की भूमि में से 8 बीघा 15 बिश्वा की जमीन आबादी में संपरिवर्तन करवाने हेतु नगरपालिका के हक में सरेन्डर करवा दी। नगरपालिका के हक में नामान्तरकरण संख्या 6635 स्वीकृत होकर नगरपालिका के नाम

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

अंकन हो चुका है। जमाबंदी संख्या 1460 सम्वत् 2053 से 2056 साथ में पेश है। अभी हाल ही में हुए नये सेटलमेंट में प्रार्थी की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 1619/7 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा में से शेष बची जमीन रकबा 4 बीघा के हैक्टेयर पद्धति अनुसार रकबा 0.66 हैक्टेयर दर्ज कर दिया। इस संबंध में कोई विवाद नही है। मगर खसरा नम्बर 1619/7 के नये खसरा नम्बर सेटलमेंट में खसरा नम्बर 1040 कायम किया है, मगर जमाबंदी में खसरा नम्बर 1040, 1041 व 1042 कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर में प्रार्थी की खातेदारी को तीनों खसरान में सम्मिलित दर्ज कर दी है, जो नये सेटलमेंट में लिपिकीय भूल से दर्ज हुई है। जिसे दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से रकबा 0.66 हैक्टेयर पूर्व की भांति अलग से खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण द्वारा रेकर्ड दुरूस्त नही किया गया। जिससे प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मेड़ता की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1619/7 रकबा 12 बीघा 15 बिश्वा में से रकबा 4 बीघा जो नये सेटलमेंट के खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से रकबा 0.66 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम अलग से खातेदारी दर्ज की जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

2. प्रार्थी ने अपने पक्ष समर्थन में, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056, खाता संख्या 1460, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070, खाता संख्या 123 की प्रतियां पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार(भू.अ.) मेड़ता ने पटवारी हल्का मेड़ता एवं आई.एल.आर. मेड़ता की मूल मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2017 मय अभिशंषा पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/2368 दिनांक 24.03.2017 भिजवायी है, पटवारी हल्का मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रार्थी सुखाराम पुत्र श्री तेजाराम, कौम नायक, सा. बीटन ने ग्राम मेड़ता के पुराने खसरा नम्बर 1619/7 रकबा 12.15 बीघा भूमि श्रवणराम से खरीदी थी। जिसका ग्राम मेड़ता के नामान्तरकरण संख्या 6317 से प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया था। प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 1619/7 रकबा 12.15 बीघा में से 8.15 बीघा भूमि नगरपालिका मेड़ता के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दी गई। जिसका नगरपालिका के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 6635 दर्ज होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया व शेष 4 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम रह गई थी। नये सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि के नये खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर में शामलाती खातेदारी रकबा 0.66 हैक्टेयर दर्ज किया गया है जबकि मौके पर पुराने समय से ही प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ रकबा 0.66 हैक्टेयर कब्जा, काश्त है। अतः प्रार्थी के ग्राम मेड़ता के खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ की भूमि रकबा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

0.66 हैक्टेयर की खातेदारी सुखाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति नायक सा. बीटन के नाम शुद्धि दर्ज की जाना उचित है।

4. नगरपालिका मेड़ता ने अपने पत्रांक/न.पा.मे./भूमि/2017/4789 दिनांक 21.11.2017 द्वारा प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के संबंध अनापत्ति जारी की है।

5. विद्वान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा खरीदसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 6317 प्रार्थी के नाम भरा गया, नये सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि को नये खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल रकबा 4.13 हैक्टेयर में शामलाती खातेदारी रकबा 0.66 हैक्टेयर दर्ज किया जबकि मौके पर पुराने समय से ही प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ की भूमि रकबा 0.66 हैक्टेयर पर है, का शुद्धि किया जाना उचित है। इस संबंध में नगरपालिका मेड़ता द्वारा भी अनापत्ति पत्र श्रीमान को भिजवाया है तथा तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/2368 दिनांक 24.03.2017 रिपोर्ट के माफिक शुद्धि करने के आदेश प्रदान करावें।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/2368 दिनांक 24.03.2017 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश

7. तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/2368 दिनांक 24.03.2017 अनुसार मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ की रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्रार्थी सुखाराम पुत्र श्री तेजाराम, जाति नायक, सा. बीटन के नाम शुद्धि दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./शुद्धि/2017/2368 दिनांक 24.03.2017 निर्णय का भाग होगी।

8. तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो, भूमि रहन नही हो तथा रकबा में कोई परिवर्तन नही तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता(राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.11 12:11:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: